बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या.–15/बि0स0से0–02–03/2008 का0–2916/पटना, दिनांक– 18.6.09

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008) की धारा–19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवर्ग नियंत्री प्राधिकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति के लिए, उक्त अधिनियम की धारा–14 की उपधारा (1) के खंड (ख) एवं उपधारा (2) के आलोक में, निम्नांकित विनियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।–**

(1) यह विनियमावली **"बिहार सचिवालय सेवा (प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 2009"** कही जा सकेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ ।–** इस विनियमावली में, जबतक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(1) "उपलब्ध रिक्तियाँ" से अभिप्रेत है सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों के विरूद्ध प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रिल की स्थिति के आधार पर परिगणित एवं आरक्षण कोटिवार अधियाचित रिक्तियाँ;

(2) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008);

(3) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा;

(4) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(5) "परीक्षा" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति हेतु आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा;

(6) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2008;

(7) "सहायक" से अभिप्रेत है सेवा के सहायक ग्रेड के वैसे सहायक जो सेवा में सम्पुष्टि हों और सहायक ग्रेड में परीक्ष्यमान अवधि को छोड़कर 5 वर्षों से अधिक की लगातार सेवा कर चुके हों;

(8) इस विनियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्दों एवं संदर्भों जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो बिहार अधिनियम 3, 2008 तथा बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2008 में परिभाषित है।

3. **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति ।–**

(1) अधिनियम की धारा–14 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसार इस सेवा में प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों पर सहायक ग्रेड से सीमित

प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार की जाएगी;

(2) इस हेतु संबंधित विभागों द्वारा 1ली अप्रील की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की सूचना दिये जाने के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा रिक्तियों को परिगणित किया जायेगा और 30 अप्रील तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जायेगी।

4. **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन** ।–

(1) सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड के पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संचालन आयोग द्वारा किया जायेगा।

(2) पात्रता एवं शर्त्तें ।– सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी उम्मीदवार को निम्न शर्त्तों को पूर्ण करना होगा :–

(i) सेवा के सहायक ग्रेड में सेवा सम्पुष्ट हों।

(ii) सेवाकाल :– सहायक ग्रेड में परीक्ष्यमान अवधि को छोड़कर उसकी सेवा 5 (पाँच) वर्षों से अधिक की हो गयी हो।

(iii) प्रत्येक उम्मीदवार को इस परीक्षा में अधिकतम तीन अवसर प्रदान किया जायेगा।

(iv) शुल्क :– उम्मीदवार को आयोग द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। परन्तु आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क में ऐसी छूट/माफी दी जा सकेगी जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर विहित की जाय।

(3) पात्रता का निर्धारण ।– किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा। वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा प्रवेश–पत्र निर्गत किया जाय।

5. **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम**।– परीक्षा में कुल दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा।

प्रथम पत्र– प्रथम पत्र में सामान्य ज्ञान, भारत का संविधान, लोक प्रशासन तथा विकास संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे।

द्वितीय पत्र– द्वितीय पत्र में निम्नलिखित नियमावली, नियम या संहिता से प्रश्न पूछे जायेंगे :–

(1) बिहार सेवा संहिता
(2) बिहार पेंशन नियमावली
(3) बिहार कार्यपालिका नियमावली
(4) सचिवालय अनुदेश
(5) बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली
(6) बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली
(7) बिहार यात्रा भत्ता नियमावली

(8) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली
(9) बिहार कोषागार संहिता
(10) बिहार वित्तीय नियमावली
(11) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005
(12) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

6. **परीक्षाफल** ।–

(i) उम्मीदवार को परीक्षा के उपरान्त मेधा सूची में सम्मिलित होने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा।
(ii) भर्त्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा मेधाक्रम के अनुरूप तथा आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी और अधियाचित रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी।
(iii) किसी उम्मीदवार को परीक्षाफल का संसूचन उस रीति एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जैसा आयोग द्वारा विहित किया जाय।
(iv) आयोग की अनुशंसा की वैधता उसके विभाग में प्राप्त होने से मात्र एक वर्ष के लिए होगी।

7. **नियुक्ति** ।– परीक्षा में सफल होने मात्र से किसी उम्मीदवार का प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि राज्य सरकार उनके सेवाकाल में आचार के संबंध में वैसी जाँच कराकर संतुष्ट न हो ले, जैसा कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार आवश्यक समझे। आयोग द्वारा अनुशंसित किसी उम्मीदवार की अयोग्यता के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

8. **कदाचार हेतु दण्ड** ।– (1) निम्नांकित कदाचारों के कारण किसी उम्मीदवार को दण्डित किया जा सकेगा :–

(i) अपनी उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य माध्यम से सहायता लेना;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति का नाम धारण करना;
(iii) किसी योग्य व्यक्ति का नाम ग्रहण करना;
(iv) मिथ्या अभिलेख समर्पित करना, जिसमें छेड़–छाड़ की गई हो;
(v) तथ्यपरक सूचनाओं को छिपाते हुए अशुद्ध या गलत साधन अपनाना;
(vi) परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी हेतु अनियमित या गलत साधन अपनाना;
(vii) परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करना;
(viii) परीक्षा कक्ष में गलत साधन का प्रयोग;

(2) उपर्युक्त सभी या किसी कदाचार का प्रयास करने या कदाचार करने पर उम्मीदवार के विरूद्ध आपराधिक संज्ञान के लिए उपयुक्त होने के अतिरिक्त, उसे

(i) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा जिसके लिए वह उम्मीदवार है;

(ii) उसे हमेशा के लिए अथवा किसी खास अवधि के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने से निम्नलिखित द्वारा वंचित किया जा सकेगा;

(क) आयोग द्वारा–आयोग द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा अथवा चयन से;

(ख) राज्य सरकार द्वारा–राज्य सरकार के अधीन किसी भी सेवा से;

(iii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली खण्ड के तहत उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई चलायी जा सकेगी;

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक.–15/बि0स0से0–02–03/2008 का0– 2916 /पटना, दिनांक– 18.6.09

प्रतिलिपि गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध करायी जाय।

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक.–15/बि0स0से0–02–03/2008 का0–2916 /पटना, दिनांक– 18.6.09

प्रतिलिपि सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता, बिहार का कार्यलय/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आमिर सुबहानी) 18.6.09
सरकार के सचिव।

संख्या–15 / बि0स0से0–02–03 / 2008 का0– 2917 / पटना, दिनांक– 18.6.09

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) की धारा–11 के आलोक में अधिसूचना संख्या–2916, दिनांक– 18.6.09 के तहत अधिसूचित "बिहार सचिवालय सेवा (प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 2008" का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त विनियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आमिर सुबहानी) 18.6.09
सरकार के सचिव।

Government of Bihar
Personnel & Administrative Reforms Department

NOTIFICATION

No15/BSS-02-03/2008 Ka- 2917....../ Patna-15, Dated ...18.6.09

In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section-19 of Bihar Secretariat Service Act, 2007 (Bihar Act 03, 2008) cadre controlling authority (Personnel and Administrative Reforms Department) makes the following Regulations in light of clause (b) of subsection (1) and subsection-2 of section-14 of the said Act, for appointment through limited competitive examination to the grade of Section Officer of the Bihar Secretariat Service-

1. **Short title and commencement.-** (1) This regulation may be called **"Bihar Secretariat Service (Appointment through limited competitive examination to the grade of Section Officer) Regulation, 2009."**

(2) It shall come into force at once.

2. **Definitions.-** In these Regulations. Unless the context otherwise requires.-

(1) 'Available Vacancies' means calculated and reservation category wise requisitioned vacancies available on 1st April of every year against the 20% posts in the grade of Section Officer of the service;

(2) 'Act' means the Bihar Secretariat Service Act, 2007 (Bihar Act 03, 2008);

(3) 'Service' means the Bihar Secretariat Service;

(4) 'Commission' means the Bihar Public Service Commission;

(5) 'Examination' means limited competitive examination conducted by the Commission for appointment to the grade of Section Officer of the service;

(6) 'Rules' means the Bihar Secretariat Service Rules, 2008.

(7) 'Assistant' means those Assistants of the Service who are confirmed in the Service and have completed five years of continuous service in Assistant grade excluding probation period;

(8) Other words and reference used in these regulation and not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in Bihar Act 03, 2008 and Bihar Secretariat Service Rules, 2008.

3. **Appointment through Limited Competitive Examination.-**

(1) According to the provisions contained in clause (b) of Subsection (1) of Section 14 of Act, 20% of posts in the grade of Section Officer of this service shall be filled through Limited Competitive Examinations from the Assistant grade according to the recommendation of the Commission on the basis of a Limited Written Competitive Examination held by the Commission for this purpose:

(2) For this purpose, Personnel and Administrative Reforms Department shall calculate the vacancies on the basis of vacancies reported by different departments available on 1st April every year and reservation category wise requisition shall be sent to the Commission by 30th April.

4. **Holding of examination for appointment through Limited Competitive Examination.-**

(1) The written examination for appointment through Limited Competitive Examination to the grade of Section Officer of the service shall be held and conducted by the Commission.

(2) Eligibility and Conditions- For appearing at the Limited Competitive Examination, a candidate shall have to fulfill following conditions:-

(i) Should be confirmed in the Assistant grade of the service.

(ii) Length of service- He should have rendered a continuous service of five years in the Assistant grade excluding probation period.

(iii) Every candidate will be given a maximum of three chances in this examination.

(iv) Fees- A candidates shall have to pay such fees as may be prescribed from time to time by the Commission.

Provided that candidates belonging to the reserved categories may be given such relaxation in the required fees as prescribed by the Personnel and Administrative Reforms Department from time to time.

(3) Determination of Eligibility- The Commission shall decide as to the eligibility of candidate for admission to this examination and the decision of the Commission will be final. Only such candidates may appear in the examination whose admit card shall be issued by the Commission for this purpose.

5. **Syllabus for Limited Written Competitive Examination-** There shall be two papers in this examination. Each paper shall be of 100 marks and three hours duration. Each question shall be of multiple choice objective type.

Paper-I Question related to General Knowledge, Constitution of India, Public Administration and Development shall be asked in the first paper.

Paper-II Question related to following rules/codes shall be asked in the second paper-

(1) Bihar Service Code
(2) Bihar Pension Rules
(3) Bihar Rules of Executive Business
(4) Secretariat Instructions
(5) Board Miscellaneous Rules
(6) Bihar General Provident Fund Rules
(7) Bihar Travelling Allowance Rules
(8) Bihar Government Servants conduct Rules
(9) Bihar Treasury Code
(10) Bihar Financial Rules
(11) Bihar Government Servant (Classification, Control and appeal) Rules, 2005
(12) Right to Information Act, 2005

6. **Results.-**

(i) A candidate shall have to obtain minimum qualifying marks as determined by the Personnel & Administrative Reforms Department from time to time to be eligible for being included in the merit list after the examination.

(ii) A list of eligible and reservation category -wise candidates shall be prepared by the Commission in order of merit and shall be recommended for appointment according to the requisitioned vacancies;

(iii) Communication of results to a candidates shall be done according to the mode and procedure prescribed by the Commission;

(iv) The validity of recommendation of the Commission shall be for one year from the date of its receipt in the department.

7. **Appointment.-** Success in the examination confers no right to a candidate for appointment to the post of Section Officer unless the State Government is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary by the State Government, about his conduct during the service period. The decision of Personnel and Administrative Reforms Department, in respect of disqualification of a candidate recommended by the Commission shall be final.

8. **Penalty for misconduct.-** (1) A candidate shall be penalized for following misconducts :-

(i) obtaining support for his candidature by any means;
(ii) impersonating;
(iii) procuring impersonation of any eligible person;

(iv) submitting fabricated documents which have been tampered with;

(v) making statement which are incorrect or false, or suppressing material information;

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination;

(vii) misbehaving in the examination hall;

(viii) using unfair means in the examination hall;

(2) Attempting to commit or, as the case may be, abetting of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering him liable to criminal prosecution, make him liable-

(i) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate;

(ii) to be debarred from examination either permanently or for a specified period;-

(a) by the Commission- from any examination or selection held by the Commission,

(b) by the State Government- from any service under the State Government,

(iii) to disciplinary action in accordance with Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005;

By the order of Governor,

(Amir Subhani)
Secretary to the Govt.

ज्ञापांक.–15 / बि0स0से0–02–03 / 2008 का0–2917 / पटना, दिनांक– 18.6.09

प्रतिलिपि गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध करायी जाय।

(आमिर सुबहानी) 18.6.09
सरकार के सचिव।